न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी– रक्षा पारीक, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 2024/248 (प्रा0प0)
दायर दिनांक – 07/10/2024
निर्णय दिनांक – 03/04/2025

अनवान

1. मेगराज पिता टिला भील निवासी डाबुन तह. खमनोर जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खमनोर, जिला राजसमन्द

विपक्षी

उपस्थित –
प्रार्थीगण की ओर से – श्री संदीप सनाढ्य, अधिवक्ता
विपक्षीगण की ओर से – पेरोकार सरकार

दिनांक – 03/04/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956
: : निर्णय : :

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम डाबुन पटवार हल्का सगरूण तहसील खमनोर में आराजी संख्या 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581 कुल किता–07 कुल रकबा 0.7713 हैक्टेयर स्थित है। उपरोक्त कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजियात में से आराजी संख्या 577 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, आराजी संख्या 581 रकबा 0.3414 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजी नम्बर का वक्त सेगरीकेशन में राजस्व कर्मचारियों द्वारा मनमकसुद तरीके से राजस्व रेकार्ड में नक्शा ट्रेस में गलत अंकन कर दिया गया। आराजी संख्या 577 जिसका रकबा 0.0253 हैक्टेयर ही था और उक्त आराजी नम्बर मूल नक्शा ट्रेस में आराजी संख्या 557 व 576 के सटमा स्थित थी परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त आराजी का नक्शा अशुद्व अंकन कर आराजी संख्या 581 की भूमि को आराजी संख्या 577 में नक्शा ट्रेस में दर्ज कर दिया जिसे शुद्व किया जाना आवश्यक है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा पुवर्वती नक्शा ट्रेस के अनुसार ही आराजी संख्या 577 एवं आराजी संख्या 581 को राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकन करना था परन्तु फिर भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा ऑनलाईन सेगरीकेशन के वक्त आराजी संख्या 577 एवं आराजी संख्या 581 का राजस्व रेकार्ड में नक्शा ट्रेस ऑनलाईन में अशुद्व अंकन कर दिया जिसे प्रार्थी शुद्व करवाने का अधिकारी है। उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में ऑनलाईन नक्शा ट्रेस

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)

में विधिवत् अंकन नही किया है जिससे प्रार्थी अपनी उक्त आराजी संख्या 577 एवं 581 भूमि का राजस्व रेकर्ड में जहॉं होना चाहिये उस स्थान पर न होकर अशुद्व नक्शा ट्रेस में अंकित हो गया जिसे सुधारना अति आवश्यक है। जिसे राजस्व रेकार्ड में नक्शा ट्रेस में शुद्व करवाना जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है। राजस्व कर्मचारियों ने आराजी संख्या 577 एवं आराजी संख्या 581 को राजस्व रेकर्ड अनुसार ही ऑनलाईन सेगरीकेशन नक्शे में अमल दरामद करना था। राजस्व कर्मचारियों को आराजी संख्या 577 एवं 581 का नक्शा ट्रेस में किसी प्रकार का अशुद्व अंकन करने का अधिकार नही था परन्तु फिर भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा मनमकसुद तरीके से ऑनलाईन सेगरीकेशन में गलत अंकन कर दिया गया जिसे शुद्व किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के विरूद्व आदेश दिया जावे कि वह प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजी संख्या 577 एवं आराजी संख्या 581 के राजसव रेकर्ड ऑनलाईन नक्शा ट्रेस में शुद्वि करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी का जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी तहसीलदार खमनोर की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार देलवाडा द्वारा अपने पत्रांक 86 दिनांक 23.01.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि राजस्व ग्राम डाबुन के आराजी संख्या 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581 वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 191 के अनुसार मेगराज पिता टिला भील निवासी डाबुन के नाम दर्ज है। डी.आई.एल.आर.एम. पी. के तहत राजस्व ग्रामों के नक्शों का डिजिटाईजेशन करने के दौरान ग्राम डाबुन के आराजी संख्या 577, 578 व 580 का मूल नक्शा शीट के मुकाबले ऑनलाईन डिजिटाईजेशन नक्शें में उक्त नम्बरान का पारस्परिक अंकन एवं सीमा लाईन में सहवन से गलत अंकन हो गया। उक्त आराजी संख्या 577, 578 एवं 580 का प्रार्थी ही एकल खातेदार है एवं वर्तमान ऑनलाईन नक्शें में शुद्व किये जाने से किसी अन्य खातेदार का हित प्रभावित नही होगा। अतः उक्त प्रकरण में ग्राम डाबुन के आराजी संख्या 577, 578 एवं 580 को ऑनलाईन नक्शें में मूल नक्शा शीट के मुकाबले सही अंकित किया जाना उचित है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया एवं डिजिटाईजेशन के दौरान वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में त्रुटिवश हुई अशुद्वि को शुद्व किये जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आवलोकन किया गया तो जाहिर आया है कि तहसीलदार खमनोर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार राजस्व

ग्राम डाबुन के आराजी संख्या 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581 वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 191 के अनुसार मेगराज पिता टिला भील निवासी डाबुन के नाम दर्ज है। डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत राजस्व ग्रामों के नक्शों का डिजिटाईजेशन करने के दौरान ग्राम डाबुन के आराजी संख्या 577, 578 व 580 का मूल नक्शा शीट के मुकाबले ऑनलाईन डिजिटाईजेशन नक्शें में उक्त नम्बरान का पारस्परिक अंकन एवं सीमा लाईन में सहवन से गलत अंकन हो गया। उक्त आराजी संख्या 577, 578 एवं 580 का प्रार्थी ही एकल खातेदार है एवं वर्तमान ऑनलाईन नक्शें में शुद्व किये जाने से किसी अन्य खातेदार का हित प्रभावित नही होगा। तहसीलदार खमनोन द्वारा उक्त प्रकरण में ग्राम डाबुन के आराजी संख्या 577, 578 एवं 580 को ऑनलाईन नक्शें में मूल नक्शा शीट के मुकाबले सही अंकित किया जाने की अनुशंषा की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र न्याय संगत उचित प्रतीत होता है।

– : आदेश : –

अतः उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार देलवाडा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व करने में सफल रहने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खमनोर की रिपोर्ट मय अनुशंषा तथा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम डाबुन के आराजी संख्या 577, 578 एवं 580 के ऑनलाईन नक्शें को मूल नक्शा शीट के मुकाबले सही अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार खमनोर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय की मोहर से सरे ईजलास सुनाया गया।

(रक्षा पारीक)
उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)